6315 वाहनों के चालान किए हैं यातायात पुलिस ने। प्रेशर हार्न लगाकर चलने वाले और स्कूल और अस्पतालों के बाहर हार्न का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ राजधानी में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 1 अगस्त 2019

स्थायी शुल्क में कमी, आज से सस्ती हुई बिजली

उपभोक्ताओं को बड़ी राहत ▸ प्रतिमाह 12 सौ यूनिट तक बिजली की खपत पर दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

उमस भरी गर्मी में दिल्लीवालों के लिए राहत भरी खबर आई है। अगस्त माह से उनके बिजली कनेक्शन पर लगने वाले स्थायी शुल्क में भारी कटौती कर दी गई है। इसके साथ ही प्रतिमाह 12 सौ यूनिट तक बिजली की खपत पर दरों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि 12 सौ यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने पर प्रति यूनिट 25 पैसे ज्यादा बिल चुकाना होगा। तीन किलोवाट स्वीकृत भार वाले छोटे कारोबारियों की उपश्रेणी बनाई गई है। इनसे अब साढ़े आठ रुपये की जगह छह रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल लिया जाएगा। अब तक इनसे बड़े कारोबारियों की तरह बिजली बिल वसूला जाता था। वहीं मनोवैज्ञानिकों और फिजियोथेरेपिस्ट को भी अब घरेलू श्रेणी में रखने का फैसला किया गया है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के चेयरमैन एसएस चौहान ने प्रेसवार्ता में वर्ष 2019-20 के लिए बिजली की नई दरें घोषित कर दी हैं। आयोग ने निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की बिजली की दरें बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। पिछले वर्ष स्थायी शुल्क में छह गुना तक बढ़ोतरी कर दी गई थी। इसके बाद से उपभोक्ताओं के साथ ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और राजनीतिक दलों द्वारा स्थायी शुल्क में कमी करने की मांग की जा रही थी। ऐसे में स्थायी शुल्क में पिछले वर्ष की गई बढ़ोतरी लगभग खत्म कर दी गई है। आयोग का दावा है कि इससे उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 105 रुपये से लेकर साढ़े सात सौ रुपये तक की बचत होगी, लेकिन डिस्कॉम के राजस्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

ज्यादा बिजली खर्च करने वालों की झटका : 15 किलोवाट से ज्यादा स्वीकृत भार वाले उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही दो सौ रुपये प्रति किलोवाट की दर से स्थायी शुल्क चुकाना पड़ेगा। वहीं, प्रति माह 12 सौ यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वालों के बिल मे बढ़ोतरी हो जाएगी। अब उन्हें 7.75 रुपये के बजाय आठ रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा।

बड़े कारोबारियों को भी मिलेगी महंगी बिजली : जिन कारोबारियों का स्वीकृत भार तीन किलोवाट से ज्यादा होगा उन्हें अब आठ की जगह साढ़े आठ रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल देना होगा। इसी तरह औद्योगिक इकाइयों से 7.25 रुपये की जगह 7.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल वसूला जाएगा। सार्वजनिक सुविधाएं, डायल और विज्ञापन के लिए भी बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है।

ई वाहन चार्ज करने के लिए सस्ती बिजली : राजधानी में ई वाहन को बढ़ावा देने के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। लो टेंशन लाइन वाले बिजली कनेक्शन पर ई वाहन साढ़े पांच रुपये की जगह साढ़े चार रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज किए जा सकेंगे। हाई टेंशन वाले कनेक्शन पर पांच रुपये की जगह चार रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल देना होगा।

उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी पेंशन फंड की राशि : सेवानिवृत्त बिजली कर्मियों को पेंशन देने का भार उपभोक्ताओं को ही उठाना होगा। उनसे पहले की तरह बिजली बिल का 3.8 फीसद पेंशन अधिभार वसूला जाएगा। इसके साथ ही डिस्कॉम डीईआरसी के पास बकाया रेगुलेटरी एसेट की भरपाई के लिए उपभोक्ताओं से बिजली बिल पर आठ फीसद अधिभार वसूलती रहेगी। वहीं, बिजली बिल जमा करने में देरी पर वसूले जाने वाले अधिभार की गणना 1.5 फीसद प्रति माह के बजाय 18 फीसद प्रति वर्ष की दर से की जाएगी।

स्थायी शुल्क में कमी से अनुमानित बचत

स्वीकृत भार (किलोवाट)	अनुमानित बिजली खपत (यूनिट)	वर्तमान बिजली बिल (रुपये)	नया बिजली बिल (रुपये)	बचत (रुपये)
1	105	440	335	105
2	210	895	685	210
3	315	1538	1268	270
4	420	2190	1830	360
5	525	3013	2563	450
6	630	4045	3595	450
7	735	4903	4378	525
8	840	5780	5180	600
9	945	6690	6015	675
10	1050	7600	6850	750

स्थाई शुल्क की नई दरें

अबतक दो किलोवाट स्वीकृत भार वाले उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से स्थायी शुल्क देना पड़ता था, जिसे कम करके 20 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया है। तीन से पांच किलोवाट तक 140 रुपये की जगह अब 50 रुपये प्रति किलोवाट और छह किलोवाट से 15 किलोवाट तक 175 रुपये की जगह 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से स्थायी शुल्क लगेगा।

व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए दरें

स्वीकृत भार	स्थायी शुल्क	बिजली की दर
तीन किलोवाट तक	250	6
तीन किलोवाट से ऊपर	250	8.50
औद्योगिक उपभोक्ता	250	7.75
कृषि	125	1.50
मशरूम उत्पादन	200	6.50
सार्वजनिक सुविधाएं	250	6.25
डायल	250	7.75
विज्ञापन व होर्डिंग	250	8.50

नोट : स्थाई शुल्क एक किलोवाट प्रतिमाह और बिजली बिल की दर प्रति यूनिट में दी गई है।

सियासी साल में सौगातों का मानसून

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

राजधानी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए इस सियासी साल में सौगातों का मानसून आया है। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को स्थाई शुल्क में कमी के रूप में दी गई सौगात पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों ने वसूला गया शुल्क वापस किए जाने की मांग शुरू कर दी है।

राजनीतिक दलों के लिए बिजली हमेशा ही मनपसंद मुद्दा रहा है। वर्षों से बिजली बिल को लेकर सियासी दल आपस में भिड़ते रहे हैं। यह मुद्दा सत्ता के सफर में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी (आप) ने बिजली हाफ पानी माफ का नारा दिया था और दिल्ली के लोगों ने उसे प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता सौंप दी थी। अब एक बार फिर से बिजली बिल पर सियासत शुरू हो गई है। बुधवार को बिजली की नई दरें घोषित की गई हैं। आप सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। भाजपा इसे अपनी जीत के तौर पर प्रचारित कर रही है। भाजपा व कांग्रेस के साथ ही रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) सरकार से अब तक वसूले गए ज्यादा स्थायी शुल्क उपभोक्ताओं को वापस करने की मांग कर रहे हैं।

सत्ता में आते ही आप सरकार ने कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी देकर अपना चुनावी वादा पूरा किया था। यह सब्सिडी अब भी जारी है। पिछले साढ़े चार वर्षों में बिजली की दरों में भी न के बराबर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पिछले वर्ष स्थायी शुल्क में छह गुना वृद्धि किए जाने से सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। विपक्ष का आरोप था कि आप सरकार निजी बिजली कंपनियों (डिस्कॉम) को लाभ पहुंचा रही है। विपक्ष द्वारा इसे मुद्दा बनाए जाने से सत्ता पक्ष को नुकसान की आशंका सताने लगी थी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चार माह पहले ही स्थायी शुल्क में कमी किए जाने का आश्वासन दिया था। बुधवार को डीईआरसी द्वारा घोषित टैरिफ में स्थायी शुल्क कम करने की घोषणा कर दी गई है। आप सरकार का कहना है कि उसके कार्यकाल में बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं। साथ ही भाजपा शासित राज्यों से बिजली की दरों की तुलना करके दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलने का दावा भी कर रही है। विधानसभा चुनाव में भी आप इस उपलब्धि का प्रचार करेगी। दूसरी ओर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। वसूले गए स्थायी शुल्क वापस लौटाने की मांग के साथ ही पेंशन फंड का पैसा उपभोक्ताओं से वसूले जाने का विरोध शुरू हो गया है।

> स्थायी शुल्क कम करना आप सरकार का चुनावी पैंतरा है। सरकार ने स्थायी शुल्क व लोड बढ़ाकर दिल्ली की जनता की जेब पर डाका डाला था। भाजपा के लगातार दबाव बनाने के कारण अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती को मान लिया है, लेकिन उपभोक्ताओं से वसूले गए सात हजार करोड़ वापस कराने तक भाजपा अपना संघर्ष जारी रखेगी।
> –मनोज तिवारी, (दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष)

क्यों न अफसरों के वेतन से काटा जाए अतिक्रमण हटाने में खर्च पैसा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ संजय बस्ती में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए मुआवजे के तौर पर खर्च हुए थे 83 करोड़

संजय बस्ती में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए करदाताओं के करोड़ों रुपये मुआवजे के रूप में बर्बाद करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने शहरी विकास मंत्रालय व केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपनी जमीन पर अतिक्रमण होने से नहीं रोक पा रहे हैं। आपके अधिकारी अतिक्रमण होने के दौरान आंख बंद किए रहे और आम जनता से लिए गए टैक्स से 83 करोड़ रुपये इसे हटाने में खर्च कर दिए। यह कोई छोटी धनराशि नहीं है। पीठ ने कहा कि आखिर यह धनराशि अधिकारियों के वेतन से क्यों न काटी जाए।

मुख्य पीठ ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह अतिक्रमण कराने वाले सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की पहचान करे और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रिपोर्ट दाखिल करे। याचिका पर अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। पूरा मामला केंद्र सरकार के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के संजय बस्ती इलाके में बने फ्लैट से संबंधित है। फ्लैट के बुरी स्थिति में होने के कारण वर्ष 1977 में उसे तोड़ने का निर्देश दिया गया था। फ्लैट को तोड़ने वाले ठेकेदार ने वहां दुकान बनाकर लोगों को दे दिया। फिर उन लोगों ने अपना मकान बना लिया और सरकार जब उसे हटाने के लिए गई तो उन्हें मुआवजा देना पड़ा। मुख्य पीठ ने मंत्रालय से कहा कि जमीन पर अतिक्रमण वर्ष 1977 से ही चल रहा था और आपने उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की। क्या आप लोग सरकारी जमीन की सुरक्षा अतिक्रमणकारियों से नहीं कर सकते। अगर कोई आपके अधिकारी के बंगले में रहने चला जाए तो आप तुरंत उसका सामान फेंक देंगे, लेकिन यह फ्लैट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बना था। इस वजह से आप लोगों ने कुछ नहीं किया।

मुख्य पीठ ने कहा कि यह प्रथमदृष्टया अधिकारियों की अतिक्रमणकारियों से मिलीभगत का नजीता लगता है। क्या अतिक्रमणकारी सरकार को किराया दे रहे थे। इस पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि इन फ्लैटों को दिसंबर 2017 में सील कर दिया गया था। कोर्ट ने इस पर कहा कि जब सील कर दिया गया था, तो वहां अतिक्रमणकारी आए कैसे। अतिक्रमणकारियों को मुआवजा क्यों दिया गया। आप तो कर्मचारियों की छोटी सी वेतन बढ़ोतरी को रोक लेते हैं, लेकिन अतिक्रमणकारियों को मुआवजा देने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए।

झिलमिल कॉलोनी रोड से हटाएं अवैध पार्किंग व निर्माण

जासं, नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली के रिहायशी क्षेत्र झिलमिल कॉलोनी में अवैध पार्किंग व अवैध तरीके से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ स्थानीय निवासियों द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार को एएसआइ हॉस्पिटल वाली रोड पर बनीं अवैध पार्किंग व अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश दिया है। मुख्य पीठ ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि अवैध पार्किंग व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बने हुए अवैध निर्माणों को हटाने की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।

अवैध निर्माण व अवैध पार्किंग की समस्या से परेशान झिलमिल कॉलोनी के स्थानीय निवासी संजीव राजपूत समेत 10 लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रेम छेत्री ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने चार जून 2018 को एएसआइ हॉस्पिटल रोड स्थित लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से पार्किंग का ठेका जारी किया। मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पार्किंग का ठेका रद करते हुए यह जानकारी अदालत को दी। याचिका के अनुसार मुख्य मार्ग पर पहले एक रेस्टोरेंट खुला। इसके बाद धीरे-धीरे कुछ वर्षों में आवासीय इलाके में अवैध तरीके से दो दर्जन से अधिक रेस्टोरेंट खुल गए।

लोग खुश रहें तो देश में खत्म हो जाएंगे मुकदमे : गोगोई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दिल्ली सरकार की पहली हैप्पीनेस एजुकेशन कांफ्रेंस में कहा कि हैप्पीनेस हम सभी को चाहिए। तालकटोरा स्टेडियम में शिक्षा पर दिल्ली सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोग खुश रहें तो मुकदमे भी कम हो जाएंगे।

बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं। यह एक बड़े और यूनिक कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ है। जहां 1024 स्कूलों के बच्चे प्रतिदिन 45 मिनट खुश रहना सीखते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि आप भी बच्चों को खुश रहना सिखाएं, खुशी के मायने बताएं। उन्होंने देश के लंबित मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर लोग खुश हैं तो मुकदमेबाजी की समस्या खत्म हो जाएगी। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है कि इस कार्यक्रम के जरिये उन्हें छोटी उम्र में इसकी अहमियत पता लग रही है। यह मैंने दोस्तों से भी शेयर किया है कि हैप्पीनेस क्लासेस जुडिशरी में भी होनी चाहिए।

हैप्पीनेस करिकुलम की आवश्यकता को बताते हुए उन्होंने कहा कि बिना खुशी के शिक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती है। युवाओं में यह एक गंभीर समस्या है कि वे अपने आस-पास क्या हो रहा है, इसे देखकर दुखी होते हैं। इस कार्यक्रम को देश के सभी स्कूलों में शुरू किए जाने पर उन्होंने जोर दिया। कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रमुख रूप से कार्यक्रम में मौजूद रहे।

तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हैप्पीनेस एजुकेशन कांफ्रेंस में मुख्य अतिथि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को पौधा देकर स्वागत करती छात्रा। साथ में हैं अनिल बैजल, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य। चीफ जस्टिस ने हैप्पीनेस करिकुलम को जरूरी बताया। संजय

हैप्पीनेस करिकुलम क्लास के एक साल पूरे होने पर दिल्ली के सभी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव 16 से 30 जुलाई तक मनाया गया। इस कार्यक्रम को कई राज्यों ने अगले सत्र अपने यहां चालू करने पर सहमति भी जताई। इस कार्यक्रम के जरिये देश के स्कूलों में शिक्षा सुधारों के लिए विभिन्न राज्यों को एक मंच प्रदान किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चीफ जस्टिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमारे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि चीफ जस्टिस कोर्ट के कार्यदिवस के बीच में हमारे साथ हैं। हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में बोलते हुए सीएम ने कहा कि यह केवल एक सरकारी योजना नहीं है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के आठ लाख विद्यार्थी इसे प्रतिदिन अनुभव कर रहे हैं। साथ ही उनके अभिभावक भी छात्रों में आ रहे बदलाव को देख रहे हैं।।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि हम उन लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स पर काम कर रहे हैं, जो देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। हमें इसकी आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पर भारत का स्थान गिरा है और वह 118 से 140वें स्थान पर पहुंच गया है।

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और तेलंगाना के शिक्षा मंत्रियों के अलावा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के कार्यकारी पार्षद शिक्षा और नागालैंड सरकार के सलाहकार भी शामिल हुए। भूटान के फुकुओका प्रीफेक्चुरल गवर्नमेंट, जापान के प्रतिनिधियों के अलावा एमोरी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ हैप्पीनेस, भूटान के सामाजिक भावनात्मक और नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ ने भी भाग लिया।

ऑनलाइन ठगी करने वाले 10 नाइजीरियाई दबोचे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ स्मोहन गार्डन थाना क्षेत्र में खोला रखा था कॉल सेंटर भी

▸ सोशल मीडिया के जरिये लोगों को जाल में फंसाया जाता था

द्वारका जिले के बिंदापुर थाने की पुलिस ने सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपित नाइजीरिया के रहने वाले हैं। गिरोह ने इस काम के लिए मोहन गार्डन थाना क्षेत्र में कॉल सेंटर भी खोला रखा था। वहां से सोशल मीडिया के जरिये लोगों को फंसाया जाता था। गिरफ्तार आरोपितों में फिलिप (27), अगस्टाइम (26), फ्रैंकलिन (26), फिडेलिस (26), साइमन (28), साइमन (26), नेक्वे, चिनु (26), डेनियल (28), एमेनुएल (26) शामिल हैं। ये आरोपित दिल्ली में बिना वीजा के रह रहे थे।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त एंटो अल्फोंस ने बताया कि टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी में सेल्स एक्जीक्यूटिव का काम करने वाले नवादा निवासी राकेश ने पुलिस को शिकायत दी थी। राकेश ने शिकायत में बताया कि उनके पास विदेश के एक नंबर से संदेश आया। संदेश भेजने वाली महिला ने अपना नाम अनीता ओएन बताया। उसने कहा कि वह भारत भ्रमण करना चाहती है। इसके लिए उसे टिकट बुक कराना है। दो अप्रैल को फिर संदेश आया कि वह मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और अब दिल्ली की फ्लाइट पकड़ेगी। इसके एक घंटे बाद भारत के एक नंबर से शिकायतकर्ता के पास कॉल आई कि अनीता के पास तय सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा है, जिसके लिए उसे शुल्क अदा करना होगा। उस शख्स ने शिकायतकर्ता से कहा कि उनके मेहमान के पास भारतीय मुद्रा नहीं है। ऐसे में या तो वह रुपये में भुगतान करें अन्यथा अनीता को दिल्ली की फ्लाइट नहीं पकड़ने दी जाएगी। उस शख्स ने शिकायतकर्ता को एक बैंक खाते का नंबर भी दिया, जिसमें उन्हें पैसे जमा करने थे। शिकायतकर्ता ने इसके बाद 45,500 रुपये उस खाते में डाल दिए। इसके बाद उनके पास फिर कोई कॉल नहीं आई। ठगी का अहसास होने मामला दर्ज कराया गया।

पुलिस ने ने मोबाइल नंबर, बैंक खाते व अन्य जानकारियों के आधार पर मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि मोबाइल व इंटरनेट का आइपी एड्रेस मोहन गार्डन इलाके से संचालित किया गया था। तमाम जानकारियों के आधार पर पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा, जहां से ये नंबर संचालित हुए थे। पुलिस ने वहां से 10 नाइजीरियाई नागरिकों को दबोच लिया।

30 से 50 की उम्र के लोग होते थे निशाने पर : पुलिस को आरोपितों से पता चला कि इनके निशाने पर खासतौर से 30 से 50 वर्ष तक के लोग होते थे। यदि इन्हें किसी ऐसी महिला का प्रोफाइल मिल जाता जो युवकों से दोस्ती करने को इच्छुक रहती थी तो वे किसी युवक की आकर्षक तस्वीर लगाकर खुद को व्यवसायी या किसी कंपनी में बड़ा अधिकारी बताते थे। यही तरीका वे पुरुषों के लिए अपनाते थे। चैटिंग पर बातों का सिलसिला शुरू होता। पुरुषों के मामले में महिला बनकर ये खुद को ब्राजील और महिलाओं के मामले में ये खुद को यूरोप के किसी देश का नागरिक बताते थे। लोगों को झांसे में लेने के लिए ये खुद को अमीर बताते थे और महंगे उपहारों का प्रलोभन देते थे। फिर कस्टम क्लीयरेंस के नाम पर पैसे ठगते थे। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह ने सैकड़ों लोगों को ठगा होगा। हालांकि सही जानकारी पूछताछ व जांच के बाद ही मिल पाएगी।

एयरपोर्ट पर विदेशी तस्कर को दस किलो हेरोइन के साथ पकड़ा

जासं, नई दिल्ली : हेरोइन की तस्करी के मामले में आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल-तीन पर मोजांबिक के नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 10.69 किलोग्राम हेरोइन को जब्त किया गया है। हेरोइन को पाइप के ऊपर पाउडर की तरह लगाकर उसके बंडल बनाकर तस्करी की जा रही थी। आरोपित अदीस अबाबा (इथोपिया की राजधानी) से आ रहा था। कस्टम कमिश्नर मनीष कुमार ने बताया कि 30 जुलाई को अदीस अबाबा से दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल-तीन पर पहुंची फ्लाइट ईटी-686 से आए मोजांबिक के एक नागरिक को जांच के लिए रोका गया।

उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसके बैग में पाइप के बंडल मिले। ये बंडल काले रंग की मोटी प्लास्टिक सीट से कवर किए गए थे। प्लास्टिक के कवर को हटाकर देखा गया तो बंडल में जो पाइप थे, उन पर पाउडर लगा हुआ था। संदेह होने पर पाउडर की जांच की गई तो पता लगा कि वह पाउडर के रूप में हेरोइन है। पाइप पर लगे पाउडर को अलग किया गया तो उसकी मात्रा 10.69 किलोग्राम थी।

शाहबेरी में झुकी हुई छह इमारतों को गिराएगा प्राधिकरण

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव में झुकी हुई छह इमारतों को ध्वस्त करने के लिए प्राधिकरण ने निर्माणाधीन फ्लैटों पर नोटिस चस्पा किए हैं। इमारत बनाने वाले बिल्डरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अविलंब स्वयं फ्लैटों को ध्वस्त कर दें। इमारतों के झुकने से फ्लैटों में रह रहे लोगों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कोई अनहोनी हुई तो आसपास की इमारतों में बने फ्लैटों में रह रहे लोगों को भी खतरा हो सकता है इसलिए प्राधिकरण ने झुकी हुई सभी इमारतों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। बिल्डरों ने इमारतों को स्वयं ध्वस्त नहीं किया तो प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। इस दौरान जो खर्च होगा, वह बिल्डरों से वसूला जाएगा। वहीं, प्राधिकरण ने 17 और बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। एक सप्ताह के अंदर प्राधिकरण उनके खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराएगा।

शाहबेरी गांव में प्राधिकरण ने 2009 में 155 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था। किसानों ने खेती करने के लिए जमीन वापस मांगते हुए हाई कोर्ट में भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी थी। कोर्ट ने 2010 में जमीन अधिग्रहण रद कर दिया। किसानों ने खेती करने के बजाय जमीन बिल्डरों को बेचनी शुरू कर दी। बिल्डरों ने मिलीभगत कर गांव की जमीन पर बहुमंजिला फ्लैट बना दिए। गत वर्ष 17 जुलाई को शाहबेरी में छह-छह मंजिला दो इमारत जमींदोज हो जाने से नौ लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्राधिकरण ने अवैध इमारतों को ध्वस्त करने की योजना बनाई। शाहबेरी में छह और इमारत झुकी हुई हैं। इनके गिरने का खतरा बना हुआ है।

शाहबेरी में 50 से अधिक बिल्डरों ने किसानों से सीधे जमीन खरीदकर करीब दस हजार फ्लैट बना दिए। करीब 243 निजी भवन भी बने हुए हैं। इनके खिलाफ जिला प्रशासन थाने में मामला दर्ज करा चुका है। बिल्डरों ने प्राधिकरण से फ्लैटों का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। बिना अनुमति के हजारों फ्लैट बना डाले। तीस बिल्डर ऐसे हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर फ्लैट बनाए हैं। इनके खिलाफ जिला प्रशासन ने रासुका लगाने की तैयारी शुरू कर दी है।

आज से फिर मौसम बदलने के आसार, बारिश करेगी सराबोर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उमस भरी गर्मी के बीच गुरुवार से दिल्ली का मौसम एक बार फिर करवट ले लेगा। बादलों एवं बारिश का दौर भी दोबारा शुरू होगा और सुहावने मौसम का भी। यह दौर अगले तीन दिनों तक बने रहने के आसार हैं। गौरतलब है कि जुलाई में दिल्ली में मानसून की बारिश का जो दौर शुरू हुआ था, वह लगभग एक सप्ताह तक ही चला।

जुलाई के अंतिम सप्ताह में छिटपुट बारिश ही हुई। इसके चलते तापमान में इजाफा हुआ और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब यह दौर खत्म होने को है। गुरुवार को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है। इसके साथ ही कहीं हल्की तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है। इस बीच बुधवार को भी दिल्ली में उमस भरी गर्मी बनी रही। मौसम विभाग मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य है। न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है।

उठाए सवाल

मुंबई से तुलना करते हुए पीठ ने पूछा, हमारे पास बेहतर सर्वश्रेष्ठ संसाधन और अनुभवी अधिकारी हैं तो फिर हमसे गड़बड़ी कहां हो रही है

दिल्ली भी महिलाओं के लिए क्यों नहीं हो सकती सुरक्षित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म के बाद दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर मुंबई की तरह दिल्ली महिलाओं के लिए क्यों सुरक्षित नहीं हो सकती। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि मुंबई में महिलाएं देर रात भी स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं, तो फिर ऐसा दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि हमारे पास बेहतर सर्वश्रेष्ठ संसाधन और अनुभवी अधिकारी हैं तो फिर हमसे गड़बड़ी कहां हो रही है।

याचिका पर उक्त टिप्पणी करते हुए पीठ ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को महिलाओं के लिए अपराध मुक्त बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करें। दो सदस्यीय पीठ ने साथ ही दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करें और इस बाबत तैयार कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाएं। पीठ ने वर्ष 2012 की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए रखे गए कोष का इस्तेमाल न होने पर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि 16 दिसंबर 2012 को हुई घटना के बाद वर्ष 2013 में निर्भया कोष की घोषणा की गई थी और इसमें तीन हजार करोड़ का इस्तेमाल नहीं किया गया।

पीठ ने पूछा कि आखिर इसमें कुछ रुपया सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट लगाने में क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और पुलिस की तरफ से स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने निर्भया कोष का इस्तेमाल सीसीटीवी व स्ट्रीट लाइट लगाने में खर्च करने पर सहमति जताई। पीठ ने कहा कि हमें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि महिलाओं को दिल्ली में दिन या रात में सुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए।

पीठ ने इसके साथ ही निर्देश दिया कि अंधेरे वाले इलाके में पहुंचने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए और उन्हें मोटर साइकिल उपलब्ध कराई जाए। पीठ ने साथ ही यह भी कहा कि क्योंकि 44 पुलिस थाने संवेदनशील हैं, ऐसे में पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाए और सादे वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को लगाया जाए। पीठ ने निर्देशों के अनुपालन के संबंध में पुलिस को एक शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश देते हुए मासिक रिपोर्ट पेश करने को भी कहा।

दिल्ली सरकार के अधिकारियों को महिलाओं के लिए अपराध मुक्त बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। फाइल

पीसीआर वैन में हो एक पुलिसकर्मी

पीठ ने सुनवाई के दौरान पीसीआर वैन में पांच पुलिसकर्मियों की तैनाती पर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि पीसीआर वैन में सिर्फ एक अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि उसकी नजरें बाहर नहीं होती। पीठ ने कहा गर्मी में लू होने के कारण पुलिसकर्मी अंदर बैठते हैं और सर्दी में ठंड होने के कारण भी वह अंदर ही रहते हैं। ऐसे में एक पुलिसकर्मी की तैनाती करके हम चार पुलिसकर्मियों को सेव कर सकते हैं और इससे संख्याबल भी बढ़ेगा।

179 थानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमर

इस दौरान पुलिस ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा कि कुल 182 पुलिस थानों में से 179 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जबकि कुल 53 पुलिस पोस्ट में से 50 में सीसीटीवी